

न्यायालय—न्यायिक मजिस्ट्रेट सिकन्दाराऊ, हाथरस।

काजल

परिवाद संख्या— 1266 / 2022

बनाम

चिटू उर्फ प्रिंस

दिनांक 24.10.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है न ही उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित आये है। पत्रावली वास्ते बयान 200द0प्र0सं0 नियत है जिसमें जिसमें विगत कई तिथियों से परिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आ रहा है न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी वाद चलाने का इच्छुक नहीं है। अतः परिवादी की अनुपस्थिति एवं उसके द्वारा बल ना दिये जाने के कारण प्रस्तुत परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः परिवादी काजल द्वारा प्रस्तुत परिवाद उसकी अनुपस्थिति एवं उसके द्वारा पैरवी ना किये जाने के अभाव में निरस्त किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

न्यायिक मजि० सिकन्दाराऊ,

हाथरस।

जे०ओ० कोड— यू०पी० 3531